राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1658/2025

कानाराम मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, लालकोठी, जयपुर।
3. पुलिस महानिरीक्षक, आर्म्ड बटालियन/आर.ए.सी., राजस्थान, जयपुर।
4. कमांडेन्ट, द्वितीय बटालियन, आर.ए.सी., कोटा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.01.2025

आदेश की दिनांक : 06.02.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुनील कुमार चेची, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में कांस्टेबल के पद पर आरएसी, कोटा में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी ने कांस्टेबल के पद के लिये नियमों के अंतर्गत आवेदन किया और अपीलार्थी शारीरिक दक्षता एवं मेरिट सूची के आधार पर चयन हुआ, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा परिणाम जारी किया गया, जिसमें अपीलार्थी को चिकित्सा परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित नहीं किया, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष

एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8513/2016 प्रस्तुत की, जिसे आदेश दिनांक 10.07.2017 के द्वारा स्वीकार की गई और पुनः चिकित्सीय परीक्षा किये जाने का निर्देश दिया गया तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा बोर्ड का गठन कर मेरिट सूची को लंबे समय अंतराल बाद रिवाईज किया गया और तदुपरांत अपीलार्थी ने दिनांक 01.06.2018 की पालना में कांस्टेबल के पद पर दिनांक 13.06.2018 को कार्यग्रहण किया और इस प्रकार अपीलार्थी को कार्यग्रहण तिथी से सेवा लाभ प्रदान किये गये। जबकि उसी भर्ती में नियुक्त कार्मिकों को जिन्हें पहले नियुक्ति दी गई, उन कार्मिकों को दिनांक 13.05.2015 से लाभ प्रदान किया गया। उनका तर्क है कि इसी प्रकार समान मामले में अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 1717/2022 मूलचंद मीणा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य प्रस्तुत की गई, जिसमें अधिकरण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को नियमों एवं परिपत्रों के अनुसार एक आख्यात्मक आदेश जारी किये जाने के निर्देश दिये गये। इसी प्रकार उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 13.05.2015 जो अन्य कार्मिकों को प्रथम नियुक्ति दिनांक से समस्त लाभ प्रदान किये गये हैं। अपीलार्थी को भी उसी तिथी से समस्त सेवा लाभ प्रदान किये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों /परिपत्रों/नियमों को ध्यान में रखते हुये आगामी दो सप्ताह की अवधि में

नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें।

अतः उक्त अपील ग्राह्यता के प्रक्रम पर, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष